झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

2रा तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन–सह–सैनिक बाजार, मेन रोड, रॉची – 834001.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड ने यूनिट 2 एवं 3 के लिए वर्ष 2016 – 17 का True-up एवं वर्ष 2017 – 18 का APR का अनुमोदन करने हेतु आयोग में आवेदन दिया है । आवेदन की एक प्रति टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड ने अपने वेबसाईट (www.tatapower.com) पर जारी किया था तथा इसकी सूचना दिनांक 9 एवं 10 मार्च 2019 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 30/03/2019 तक आपत्ति /सुझाव/मंतव्य मांगा था । टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर उन्हें कोई भी आपत्ति/सुझाव/मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ ।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादन दर निर्धारण करने के पूर्व उक्त आवेदन पर झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉची के द्वार **जन–सुनवाई दिनांक 07.06.2019 (शुक्रवार) को 2.30 बजे अपराह्न से गोलमुरी क्लब, गोलमुरी, जमशेदपुर में होना सुनिश्चित किया गया है ।**

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन–सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्तियॉ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेशानुसार
ह0/–
सचिव